(2)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 179/2021
प्रताप सिंह पुत्र श्री चन्द्राराम, बुडानिया कृषि फार्म, पो0 हेतमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333041

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 29.09.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 03.09.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 179/2021 पर दिनांक 03.09.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/2931–32 दिनांक 03.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक भू0अ0/सू0अ0/2021/120 दिनांक 24.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रताप सिंह पुत्र श्री चन्द्राराम बुडानिया ग्रा0पो0 हेतमसर, तहसील मण्डावा के सूचना के अधिकार के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2021 की सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक सूचना/2021/81 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा पूर्व मे ही उपलब्ध करवा दी गई थी जिसकी छाया प्रति सलंग्न है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा पत्रांक भू0अ0/सू0अ0/2021/120 दिनांक 24.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रताप सिंह पुत्र श्री चन्द्राराम बुडानिया ग्रा0पो0 हेतमसर, तहसील मण्डावा के सूचना के अधिकार के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2021 की सूचना उनके कार्यालय के पत्र कमांक सूचना/2021/81 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा पूर्व मे ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं